कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / प्रार / पीएसपी / ए / नि.वि.शि. / जय.मं. / 2017–18 / 19692 / ... दिनांक ...

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा,
समस्त................... ।

विषयः–निजी विद्यालयों में ड्रेस व अध्ययन सामग्री के नाम पर लूट को बन्द किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः–राज्य सरकार का पत्र क्रमांकः 1330, दिनांक 14.05.18, राज्य सरकार का पत्र क्रमांक पं.9(2)शिक्षा–5 / पुस्तके, यूनिफॉर्म, जूते, टाई आदि / 2016 जयपुर दिनांक 17.04.17 क्रम में। कार्यालय पत्र क्रमांकः–शिविरा / प्रार / पीएसपी / ए / मूल मान्यता / 19654 / 2018–19 / लूज–4 दिनांक 16.04.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि निजी विद्यालयों में ड्रेस व अध्ययन सामग्री के नाम पर लूट को बन्द किये जाने के संबंध में कपिल देव, जिला सचिव एस.एफ.आई., अलवर का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। इस हेतु निजी विद्यालयों में पुस्तके, यूनिफॉर्म, जूते, टाई आदि के संबंध में शासन के प्रासंगिक पत्र के क्रम में दिनांक 03.10.16 एवं 17.04.17 को निर्देश जारी किये गये थे। यह ध्यान में आया है कि इन निर्देशो की सख्ती से पालना नही की जा रही है। इस संबंध में निजी शिक्षण संस्था द्वारा मनमानी नही हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

सहायक निदेशक
(आरटीई–पीएसपी)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

01. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

सहायक निदेशक
(आरटीई–पीएसपी)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

From: SFI Alwar [sfialwarraj@gmail.com]
Sent: Wednesday, May 09, 2018 3:29 PM
To: cmrajasthan@nic.in

प्रदेश स्तरीय आह्वान के तहत

स्टूडेंट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया (SFI)अलवर

दिनांक 9.5.18

माननीय

मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार,जयपुर

महोदया,

निवेदन है कि एस एफ आई के प्रदेश स्तरीय आह्वान के तहत राजस्थान में निजी विद्यालयों में ड्रेस व अध्ययन सामग्री के नाम पर विद्यालय संचालक विद्यार्थी अभिभावकों से लूट करते है जिससे विद्यार्थी के शिक्षण सम्बन्धी कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एक तरफ राज्य सरकार शिक्षा के निजीकरण को करने पर नीति बनाती है वही दूसरी तरफ निजी विद्यालय खुले तौर पर गैर जिम्मेदार तरीके से ड्रेस व अध्ययन सामग्री के नाम पर विद्यार्थियों से लूट करते है। अतः एस एफ आई आपसे पुरजोर मांग करती है कि राजस्थान के विद्यार्थी हित में निजी विद्यालय संचालकों की लूट को बन्द किया जाए साथ ही बस पास बनाने के लिए विद्यालय व महाविद्यालय में बस पास काउंटर खोले जाएं और शैक्षणिक गतिविधियों में आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म की जाए अन्यथा संगठन को मजबूरन विद्यार्थी हित में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

प्रमुख मांग:

1.निजी विद्यालयों में ड्रेस व अध्ययन सामग्री के नाम पर लूट को बन्द किया जाए।

2.बस पास बनाने के लिए विद्यालय व महाविद्यालय में बस पास काउंटर खोले जाएं।

3.शैक्षणिक गतिविधियों में आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म की जाए।

निवेदक

कपिल देव

जिला सचिव SFI

+918619404760

पंकज सांवरिया

संयुक्त सचिव
मुख्यमंत्री, राजस्थान
जयपुर

www.rajteachers.com